38/12

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 381007

न्यास पत्र

यह सार्वजनिक न्यास का प्रलेख आज दिनांक 24.12.2012 को अम्बेडकरनगर में 1.राम शिरोमणि वर्मा पुत्र श्री दया राम वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर उत्तर प्रदेश, जो भारत के रहने वाले हैं जिनको यहॉं बाद मे ''अध्यक्ष/प्रबन्धक/सेटलर'' कहा जायेगा। (इस शब्दो में उनके उत्तराधिकारियों निष्पादको तथा प्रशासको को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान संदर्भ में उसके अर्थ के विरूद्ध न हो) तथा 2- सुरेश कुमार वर्मा पुत्र श्री दयाराम वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर उ0प्र0 ''जिनको यहॉं बाद में उपाध्यक्ष कहा जायेगा'' एक पक्ष तथा 3- कृष्ण कुमार वर्मा पुत्र श्री दयाराम वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर 4-दया राम वर्मा पुत्र श्री मनिकरन वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर 5-प्रमिला वर्मा पत्नी श्री राम शिरोमणि वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उ0प्र0, भारत। जो भारत के रहने वाले है। जिनको यहॉं बाद में ''न्यासीगण या इस संन्दर्भ में कुछ समय के लिये बनाये गये न्यासी तथा न्यासीगण के उत्तराधिकारी उत्तराधिकारीगण निष्पादक उसके अर्थ के विरूद्ध न हो) द्वितीय पक्ष जो सेटलर के अनुरोध पर बनने को तैयार हैं।

1. अ- <u>सम्पत्ति-</u>

सेटलर ग्यारह हजार रूपया नगद पर न्यास की स्थापना कर रहा है। भविष्य मे दान उपहार क्रय तथा पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सार्वजनिक न्यास में जो सम्पत्ति एक बार निहित हो जावेगी वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी। ट्रस्टी न तो बेच सकता है और न ही गिरवी रख सकता एवं न ही किराये पर दे सकता है। परन्तु यह नियम सेटलर पर प्रभावी नहीं होगा।

51/86

दिनांक २१-१२-२०१२ कीमत १००) रु. ५२४६

नाम मय पता रामशिरोमणि जी डा. दयाराम जी निवासी लखैचनपुर पो० मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जिला- अम्बेडकरनगर

कमलापति जायसवाल
स्टाम्प विक्रेता उपनिबंधक कार्या.
अकबरपुर-अम्बेडकरनगर
ला0 नं0 64

कमलापति

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BD 381008

ब- सेटलर परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने के इच्छुक है।

स- न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गये है।

द- इस लेख के पूर्वाभास के उपरोक्त 11000/- नगद (ग्यारह हजार) रूपया की धनराशि पहले ही इस लेख के निष्पादन के पूर्व ही न्यासीगण को स्थानान्तरित अदा एवं हस्तगत करा दिया गया है।

2. <u>न्यास का नाम</u>- **"माँ शान्ति ऐजुकेशनल ट्रस्ट"** रहेगा। जो कभी भी बदला नही जायेगा।

क- ट्रस्टी का तात्पर्य वर्तमान ट्रस्टीज व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय-समय पर नामित ट्रस्टीज से होगा एंव किसी ट्रस्टी के मृत्यु पर यदि ट्रस्टी सेटलर की शाखा से हो तो उसका ज्येष्ठ पुत्र और यदि कोई पुरुष सन्तान नहीं है तो उसकी ज्येष्ठ पुत्री। पुत्र या पुत्री तथा उनकी सन्तानों के जीवित न होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्रम में सेटलर की शाख के अन्य ट्रस्टी की ज्येष्ठ सन्तान ट्रस्टी नामित हो सकता है। उक्त नियम तभी लागू होगा जब सेटलर द्वारा कोई नामित व्यक्ति (ट्रस्टी) नहीं होगा।

ख- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला व चाहे जिस धर्म जाति व सम्प्रदाय की हो। आवश्यकता पड़ने पर नामित किया जायेगा।

ग- मैनेजिंग ट्रस्टी वह व्यक्ति होगा जो सेटलर की शाखा से ही हो जिसे तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने कार्यकाल में भविष्य के लिए नामित किया गया हो।

3. <u>**कमेटी/कमेटीजः-**</u> बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास को चलाने के लिये विभिन्न कमेटियो का गठन किया जायेगा परन्तु उक्त कमेटी का अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा और उक्त न्यास का हेड ही पदेन सचिव रहेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदेन सचिव को छोड़कर कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल मात्र दो वर्ष होगा परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा यह कार्यकाल कभी भी घटाया जा सकता है और इस दिशा में मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

१२४६ १२४६ १००१

नं० .... खा०नं० .... पी०

दिनांक.................................

३१-१२-२०१२ कासमाय ...

यास पत्र

11,000.00	210.00	100	310.00	5,000	
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री राम शिरोमणि वर्मा रामशिरोमणि

पुत्र श्री दयाराम वर्मा

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी लखैचनपुर चमुर्खा मिझौड़ा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

अस्थायी पता लखैचनपुर चमुर्खा मिझौड़ा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/12/2012 समय 2:46PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बाल गोविन्द सिंह
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
31/12/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री राम शिरोमणि वर्मा रामशिरोमणि
पुत्र श्री दयाराम वर्मा
पेशा कृषि
निवासी लखैचनपुर चमुर्खा मिझौड़ा अकबरपुर
अम्बेडकरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री राकेश कुमार वर्मा राकेश कुमार

पुत्र श्री दलसिंगार वर्मा

पेशा कृषि

निवासी कुड़िया चितौना अकबरपुर अम्बेडकरनगर

व श्री तेज प्रताप शर्मा तेजप्रतापशर्मा

पुत्र श्री राम कीरत शर्मा

पेशा कृषि

निवासी भुवनपुर लोदीपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

पहचान पत्र प्रस्तुत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बाल गोविन्द सिंह
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
31/12/2012

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 381003

4- **<u>पदेन सचिव</u>**:- सार्वजनिक न्यास द्वारा विभिन्न कार्यों को चलाने के लिये जो कमेटीज बनाई जायेगी उसमें न्यास का हेड ही पदेन सचिव होगा जिसको पावर ऑफ सुपरिटेन्डस भी होगा परन्तु न्यास के विरुद्व कोई निर्णय कमेटी द्वारा नहीं किया जायेगा।

5- **<u>न्यास के पदाधिकारी गणः-</u>** बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विवेक से उपाध्यक्ष व सचिव नियुक्ति करेगा जिसका कार्यकाल मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा घटाया या बढाया जा सकता है। जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कहीं व कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

क- **उपाध्यक्षः-** बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का वह सदस्य जिसे मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किया गया हो जो मैनेजिंग ट्रस्टी के अध्यक्ष की न मौजूदगी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा परन्तु ऐसी विशेष परिस्थितियों में नीतिगत निर्णय नहीं लिया जायेगा।

ख- **सचिवः-** बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से किसी ट्रस्टी की नियुक्ति बतौर सचिव की जायेगी जिसका कार्य काल व अधिकार समय-समय पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जायेगा।

ग- **कोषाध्यक्षः-** कोषाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किसी ट्रस्टी को ही किया जायेगा व उसके अधिकार व कार्यकाल का निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

घ- **अन्य पदाधिकारीः-** इसकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा किया जायेगा जो मुख्यतः बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य होगें। जिसका कार्यक्षेत्र व कार्यकाल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्वेच्छा व विवेक पर होगा।

6- **न्यासीगण का हटाया जाना/अयोग्यता :-**

न्यासीगण को निम्नलिखित कृत्य के पश्चात् अपने पद से मुक्त अथवा अयोग्य समझा जायेगा :-

अ- न्यासी द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने की स्थिति में।

ब- वगैर युक्तियुक्त कारण के ट्रस्ट की कार्यवाहियों में लगातार छः महीने तक भाग न लेने की स्थिति में अथवा वगैर युक्तियुक्त कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने की स्थिति में।

१२४८ १२४६ १००

बै० .... खा०नं० .... पी०

दिनांक..................................

३१-१२-२०१२

न्यासी

Registration No.: 38 Year : 2,012 Book No. : 4

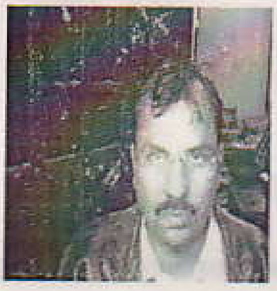

0101 राम शिरोमणि वर्मा

दयाराम वर्मा

लखैचनपुर चमुर्खा मिझौड़ा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256029

72

"माँ शान्ति ऐजुकेशनल ट्रस्ट" ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगण

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	राम शिरोमणि वर्मा	श्री दयाराम वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि
2.	सुरेश कुमार वर्मा	श्री दयाराम वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि
3.	कृष्ण कुमार वर्मा	श्री दयाराम वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि
4.	दयाराम वर्मा	श्री मनिकरन वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि
5.	श्रीमती प्रमिला वर्मा	राम शिरोमणि वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि

रामशिरोमणि वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 256030

दिनांक- 24.12.2012

गवाह - 1. राकेश कुमार वर्मा पुत्र दलसिंगार वर्मा

निवासी - कुडिया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर

2. तेज प्रताप शर्मा पुत्र राम कीरत शर्मा तेजप्रताप शर्मा

निवासी भुवनपुर पो0 लोदीपुर,अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

न्यास पत्र तैयार कर्ता

श्री राम शिरोमणि वर्मा, ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश

टाइपकर्ता - कुल भूषण वर्मा, यूनिर्वसल बुक्स, गॉधी आश्रम भवन, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

हस्ताक्षर

राम शिरोमणि वर्मा

सेटलर

निवासी ग्राम लखैचन पुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर

अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 भारत।

31/12/012

आज दिनांक 31/12/2012 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 23

पृष्ठ सं. 337 से 372 पर क्रमांक [illegible]

रजिस्ट्रीकृत किया [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] अकबरपुर

[illegible]

31/12/2012